



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित  
राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन  
वित्त मंत्री

फरवरी, 2025

वित्त मंत्रालय  
बजट प्रभाग



## विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1.	वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण	1
2.	मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय कार्यनीति का विवरण	4
3.	राजकोषीय समेकन का पथ - वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31	10



## प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केंद्र सरकार के घाटे और उसके द्वारा ऋण में मध्यावधिक काल में वहनीय स्तर तक कमी लाने के लिए विधायी फ्रेमवर्क की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत-आर्थिक सुस्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत साम्यता सुनिश्चित की जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004, 5 जुलाई, 2004 से लागू हो गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) फ्रेमवर्क में केंद्र सरकार को यह अधिदेश दिया गया कि वे राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करें। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक और केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करें।

आज की स्थिति के अनुसार, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय समेकन के लिए एकमात्र प्रचालनात्मक लक्ष्य है। संशोधित अनुमान 2024-25 में, सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित करके जीडीपी का 4.8 प्रतिशत कर दिया था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी का राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत तक होने का पूर्वानुमान है।

इस प्रलेख में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण दिए गए हैं। इन विवरणों में अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं के आकलन के साथ-साथ कराधान, व्यय, बाजार उधारियों और अन्य देयताओं के संबंध में जारी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कार्यनीतियों को दर्शाया गया है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्य और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन उत्तरदायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए विचलन का विवरण भी शामिल किया गया है। एफआरबीएम नीति विवरण एतद्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।



## 1. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

### वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2025-26

#### वैश्विक अर्थव्यवस्था

1. जनवरी, 2025 के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.3 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया था। यह अनुमानित वृद्धि इस सदी के प्रथम दो दशकों (2000-2019) के औसत से कम है। जबकि वैश्विक सुर्खियों में रही मुद्रास्फीति के घटने का अनुमान है, लेकिन ऐसा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बजाय विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होने की अधिक संभावना है। मध्यम अवधि संवृद्धि की संभावना पर अभी भी काफी संकट है और यह नीतिगत अस्थिरता के बढ़े हुए स्तरों के बीच इसका आधार स्तर को निचले स्तर की ओर ले जा सकता है।

2. इसके आगे देखते हुए कि जहां विश्वभर में मौद्रिक नीतियों के भिन्न-भिन्न मार्ग विनिमय दरों और पूंजीगत प्रवाह में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव उत्पन्न कर सकते हैं, वहीं उभरता संरक्षणवाद वैश्विक व्यापार के प्रवाह को बाधित कर सकता है। अतः, देशों द्वारा राजकोषीय बफर के पुनर्सुदृढीकरण को अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं का सामना करने में समर्थ बनने के लिए पूर्व-आवयकता के रूप में देखा जाता है।

#### भारतीय अर्थव्यवस्था

##### आर्थिक विकास

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारत की वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत आंकी गई है।

4. निजी अंतिम उपभोग व्यय के वित्त वर्ष 2024-25 में 7.3 प्रतिशत तक बढ़ने की अपेक्षा है। सकल स्थायी पूंजीगत निर्माण की वास्तविक वृद्धि के वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समेकित आपूर्ति की दृष्टि से वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

5. वित्त वर्ष 2024-25 में, जहां बेहतर खरीफ फसल पैदावार और अच्छी रबी फसल की उम्मीद के कारण कृषि क्षेत्र के 3.8 प्रतिशत की अनुमानित दर से सुदृढ़ होने की उम्मीद है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की अपेक्षा है। निरंतर वैश्विक अनिश्चितता ने विनिर्माण संबंधी निर्यात को प्रभावित किया है। तथापि, सेवा क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

##### मुद्रास्फीति

6. मुद्रास्फीति दबाव वित्त वर्ष 2024-25 में कम हुआ है और यह 2023-24 में 5.4 की तुलना में औसत खुदरा मुद्रास्फीति में

सुधार होते हुए 4.9 प्रतिशत (अप्रैल-दिसम्बर) के स्तर पर है। यह गिरावट हितकारी प्रमुख (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों द्वारा हुई थी। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसम्बर) में समग्र खुदरा मुद्रास्फीति 4+2 प्रतिशत के मुद्रास्फीति-बैंड के भीतर रही। आवश्यक खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक के सुदृढीकरण, आवधिक खुले बाजार संबंधी रिलीज, विनिर्दिष्ट दुकानों में चावल, आटा, दाल और प्याज जैसे पदार्थों के सब्सिडी मूल्य पर विक्रय, आवश्यक खाद्य पदार्थों पर आयात प्रतिबंधों को हटाने आदि जैसे सरकार के आपूर्ति-पक्ष संबंधी उपायों ने खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता की।

##### बाह्य क्षेत्र

7. भारत का वस्तु निर्यात अप्रैल-दिसम्बर, 2024 में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान, गैर-पेट्रोलियम निर्यात ने 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात 9.1 प्रतिशत बढ़ा। वस्तु आयात अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान 5.2 प्रतिशत बढ़ा। ऐसा गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयात में उछाल की वजह से हुआ था। अप्रैल-दिसम्बर, 2024 में वस्तु व्यापार घाटा 210.8 बिलियन अमेरिकी डालर अनुमानित है।

8. भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात ने अप्रैल-दिसम्बर, 2024 में 11.6 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की। इसने अप्रैल-दिसम्बर, 2024 में 131.3 बिलियन अमेरिकी डालर की निवल सेवा प्राप्तियों का योगदान दिया।

9. भारत का चालू लेखा घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत पर संयत रहा।

10. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में सुधार दर्ज किया। जहां सकल एफडीआई अंतर्प्रवाह 42.1 बिलियन अमेरिकी डालर (वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल-अक्तूबर में) से बढ़कर (वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि में) 48.6 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया, वहीं निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अक्तूबर में 14.5 बिलियन अमेरिकी डालर अनुमानित किया गया है।

11. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसम्बर, 2024 के अंत तक 640.3 बिलियन अमेरिकी डालर अनुमानित किया गया है। यह देश के लगभग 90 प्रतिशत बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आयात कवर नवम्बर, 2024 तक 11 महीने का है, जो कि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अल्प-अवधि ऋण का अनुपात जून, 2024 के अंत में 20.3 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2024 के अंत में 18.9 प्रतिशत हो गया।

## पूंजी बाजार में वृद्धि

12. प्राथमिक बाजार (इक्विटी एवं ऋण) से कुल संसाधन संग्रहण अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान ₹11.1 लाख करोड़ रहा जिसने वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। डीमैट खातों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दिसम्बर, 2024 तक 33 प्रतिशत तक बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई। इक्विटी नकद क्षेत्र में वैयक्तिक निवेश शेयर कारोबार अप्रैल से दिसम्बर, 2024 तक लगभग 35.6 प्रतिशत था। डीमैट खातों के साथ 11.5 करोड़ विशिष्ट निवेशक थे और दिसम्बर, 2024 के अंत तक म्युचुअल फंड में 5.6 करोड़ विशिष्ट निवेशक थे।

## मौद्रिक और नकदी स्थिति

13. अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी विभिन्न बैठकों में पॉलिसी रैपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। अगस्त, 2024 की अपनी बैठक तक, समिति ने 'ऋण व्यवस्था की वापसी' का अपना दृष्टिकोण यह सुनिश्चित रखने के लिए बरकरार रखा कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से तालमेल रखते हुए विकास में सहायता करे। एमपीसी ने अक्तूबर, 2024 की अपनी बैठक में, 'ऋण व्यवस्था की वापसी' का अपना मौद्रिक नीति दृष्टिकोण बदलकर इसे 'तटस्थता' कर दिया। दिसम्बर, 2024 की अपनी बैठक में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटाकर कुल मांग तथा आवधिक देयता (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

14. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल गैर-निष्पादक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 के अपने शीर्ष स्तर से घटकर सितम्बर, 2024 के अंत में 12 वर्ष के अपने सबसे न्यूनतम स्तर 2.6 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में हुए निम्नतर जीएनपीए और उच्च प्रावधानों ने सितम्बर, 2024 के अंत तक निवल एनपीए में 0.6 प्रतिशत तक की गिरावट में योगदान दिया। पुनर्संरचित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात (एससीबी के कुल सकल ऋण और अग्रिम में आरएसए का हिस्सा) मार्च, 2022 के अंत में 1.8 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2024 के अंत में 0.7 प्रतिशत हो गया। सभी प्रमुख बैंक समूहों ने इस अनुपात में गिरावट की सूचना दी है।

15. चूंकि जमा दरों के सापेक्ष ऋण दरों के लिए प्रेषण तीव्रता और आस्तियों पर समग्र लाभ विगत वर्ष के दौरान मोटे तौर पर स्थित रहा, निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सभी बैंक समूहों में

थोड़ा सा कम हुआ। एनआईएम में थोड़ी कमी के बावजूद इक्विटी पर लाभ और आस्तियों पर लाभ का अनुपात सितम्बर, 2024 में बेहतर हुआ।

## केंद्र सरकार वित्त

16. केन्द्र सरकार के सार्वजनिक वित्त ने पिछले वर्षों में देखे गए सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। दिसम्बर, 2024 तक, केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 56.7 प्रतिशत था। यह इस पूर्ण वर्ष के लक्ष्य के साथ संगत है।

17. अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की तुलना में 10.8 प्रतिशत बढ़ा। समग्र रूप में, केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-दिसम्बर, 2023 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2024 में 12.2 प्रतिशत बढ़ी।

18. केन्द्र सरकार का कुल व्यय अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान 5.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा। अगस्त, 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट (नियमित) के पारित होने के पश्चात जुलाई-दिसम्बर, 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय की गति 27.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी। चालू वित्त वर्ष में समग्र राजकोषीय स्थिति स्थिर है।

## विकास परिदृश्य

19. वैश्विक वृहत आर्थिक चुनौतियां और घरेलू विकास वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। जहां सरकार का सार्वजनिक पूंजी निवेश में सतत प्रोत्साहन और मुद्रास्फीति में गिरावट विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, वहीं मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव तथा उभरता वैश्विक संरक्षणवाद जोखिम पैदा कर सकता है।

20. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान भारत की वास्तविक एवं सांकेतिक जीडीपी वृद्धि को वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत पर रखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मुद्रास्फीति में गिरावट की संभावना है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही में क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। यद्यपि वस्तु मूल्य संबंधी परिदृश्य सामान्य रह सकता है, लेकिन भू-राजनीतिक कारक मूल्य के दबावों को बढ़ा सकते हैं।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण (आर्थिक निष्पादन एक नजर में)					
क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसम्बर		अप्रैल-दिसम्बर	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
<b>भू-संपदा क्षेत्र</b>					
1	<b>बाजार कीमतों पर जीडीपी (₹करोड़)®</b>				
(क)	प्रचलित कीमतों पर	29535667	32411406	9.6	9.7
(ख)	वर्ष 2011-2012 की कीमतों पर	17381722	18488381	8.2	6.4
2	<b>औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक®®</b>	143.3	149.3	6.5	4.1
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.5	154.8	-1.1	2.2
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100)	183.6	192.6	5.5	4.9
5	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)§	24256	26512.5	11.0	9.3
6	<b>प्रचलित कीमतों पर आयात*</b>				
(क)	करोड़ में	4189495	4467342	-4.2	6.6
(ख)	मिलियन अमेरिकी डालर में	506392	532482	-7.6	5.2
7	<b>प्रचलित कीमतों पर निर्यात*</b>				
(क)	करोड़ में	2619157	2698637	-2.2	3.0
(ख)	मिलियन अमेरिकी डालर में	316650	321709	-5.7	1.6
8	व्यापार संतुलन (मिलियन अमेरिकी डालर)*	-189742	-210773	-10.6	11.1
9	<b>विदेशी मुद्रा भंडार</b>				
(क)	करोड़ में§	5185784	5476869	11.4	5.6
(ख)	मिलियन अमेरिकी डालर में§	623200	640279	10.7	2.7
10	चालू खाता शेष (बिलियन अमेरिकी डालर में)##	-20.2	-21.4	-	-
<b>सरकारी वित्त साधन (₹ करोड़)**</b>					
1.	राजस्व प्राप्तियां	2042289	2290710	15.4	12.2
2..	सकल कर राजस्व	2482499	2750428	14.4	10.8
3.	कर राजस्व (केंद्र को निवल)	1729931	1843053	11.2	6.5
4.	कर-भिन्न राजस्व	312358	447657	45.8	43.3
5.	पूंजीगत प्राप्तियां	1011928	941384	-3.4	-7.0
	जिनमें से				
6.	ऋणों की वसूली	19597	18301	19.2	-6.6
7.	अन्य प्राप्तियां	10053	8994	-74.0	-10.5
8.	अन्य उधार और देनदारियां	982278	914089	-1.1	-6.9
9.	कुल व्यय	3054217	3232094	8.4	5.8
10.	राजस्व व्यय	2380587	2546757	2.3	7.0
11.	पूंजीगत व्यय	673630	685337	37.5	1.7
12.	राजस्व घाटा	338298	256047	-39.4	-24.3
13.	राजकोषीय घाटा	982278	914089	-1.1	-6.9
14.	प्राथमिक घाटा	234071	105776	-25.0	-54.8
<p>@: 2024-25 के लिए जीडीपी प्रथम अग्रिम अनुमान है और 2023-24 अंतिम अनुमान है दोनों पूर्ण राजकोषीय वर्षों के लिए।</p> <p>@ @: अप्रैल-नवम्बर</p> <p>*: सीमाशुल्क के आधार पर</p> <p>§: 27 दिसम्बर, 2024 को बकाया और वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन</p> <p>##: अप्रैल-सितम्बर</p> <p>** : वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए अप्रैल-दिसम्बर के आंकड़े लेखा महानियंत्रक द्वारा यथा सूचित अंतिम अनुमान है।</p>					

## 2. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण

### वैश्विक अर्थव्यवस्था

1. वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट एक भावी योजना को प्रस्तुत करता है जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था और समृद्ध समाज के रूप में बदलना है। इसके मुख्य घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करना शामिल हैं:

- सभी क्षेत्रों में परस्पर सुधार के माध्यम से समतामूलक और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उसको बरकरार रखना,
- अर्थव्यवस्था की उत्पादक रोजगार क्षमता को बढ़ाना और घरेलू मांग में वृद्धि करना,

- मानव संसाधन के विकास के लिए निवेश को बढ़ाना,
- सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा तंत्र के साथ सामाजिक कल्याण और विकास हेतु 'पूर्ण संतृप्ति दृष्टिकोण' को अपनाना,
- विवेकपूर्ण और पारदर्शी राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त की धारणीयता को सुनिश्चित करना।

2. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान (आरई) और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) में केन्द्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत हैं।

### राजकोषीय संकेतक - जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बदलते लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	2024-25	2025-26
1. राजकोषीय घाटा	4.8	4.4
2. राजस्व घाटा	1.9	1.5
3. प्राथमिक घाटा	1.3	0.8
4. कर राजस्व (कुल)	11.9	12.0
5. कर भिन्न राजस्व	1.6	1.6
6. केंद्र सरकार का ऋण	57.1	56.1

### टिप्पणी:

1. "जीडीपी" का अभिप्राय वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से है।
2. केंद्र सरकार का ऋण जिसमें वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित बाह्य सार्वजनिक ऋण, एनएसएसएफ के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित लोक लेखा में कुल बकाया देयता और ईबीआर के तहत देयताएं आदि शामिल हैं।
3. एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के कारण देयताएं संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी का क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत है। इन देयताओं को घटाकर केंद्र सरकार का ऋण संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 में क्रमशः 56.3 प्रतिशत और 55.4 प्रतिशत है।

3. कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद के वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई सक्रिय राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति ने देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करते हुए वांछित राजकोषीय नीति परिणाम सृजित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुसरण में, देश वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी और राजकोषीय घाटा अनुपात को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के पथ पर अग्रसर है। इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (नियमित बजट) के बजट भाषण में मध्यम अवधि राजकोषीय नीति दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इस

दृष्टिकोण की मंशा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे और जीडीपी अनुपात को ऐसा रखने की है कि जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात घटने के पथ पर रहे (विवरण के लिए अनुलग्नक 1 देखें)।

4. वैश्विक अस्थिरता के जारी रहने और राजकोषीय नीति प्रचालन के क्रियान्वयन में लचीलापन बनाए रखने के सुस्पष्ट लाभों को देखते हुए अगले 02 वर्षों के लिए आवृत्ति लक्ष्यों को प्रदान नहीं किया गया है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 की धारा 4 में उल्लिखित वित्तीय प्रतिबद्धताओं/दायित्वों और धारा 7(3ख) के अंतर्गत अनुपालन

दायित्वों से विचलन के कारणों को दर्शाने वाला विवरण इस विवरण के अंत में दिया गया है।

### वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय परिदृश्य और राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति

5. अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय ₹32.32 लाख करोड़ था। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय ₹6.85 लाख करोड़ रहा। प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत व्यय सहित सहायता अनुदान के रूप में परिभाषित) ₹8.85 लाख करोड़ था।

6. अप्रैल-दिसम्बर, 2024 के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियां बेहतर रही हैं। सकल कर राजस्व (जीटीआर) ने 2024 के पहले 9 महीनों में 2023 की समान अवधि की तुलना में लगभग 10.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। केंद्र की राजस्व प्राप्तियां (केंद्र का निवल कर और कर-भिन्न राजस्व) ₹22.91 लाख करोड़ थी। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के लगभग 73.2 प्रतिशत थी और यह बजट अनुमान के 73.4 के विगत 5 वर्षों के चल औसत के साथ भी संगत है।

7. वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम 9 माह के दौरान प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां क्रमशः ₹16.19 लाख करोड़ और ₹11.31 लाख करोड़ थीं। इसने क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि को दर्शाया है।

8. वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम 9 माह में केंद्र सरकार का कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) ₹4.48 लाख करोड़ था। यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 82.0 प्रतिशत था और यह बजट अनुमान के 80.0 प्रतिशत के 5 वर्ष के चल औसत से अधिक था।

9. दिसम्बर, 2024 के अंत तक राजकोषीय घाटा ₹9.14 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है (अथवा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान का 56.7 प्रतिशत)। एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 7 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अर्धवार्षिक बेंचमार्कों की तुलना में राजकोषीय मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में किए गए हैं। एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत विहित तीन अर्धवार्षिक बेंचमार्कों से कोई विचलन नहीं है।

10. उपर्युक्त को देखते हुए, संशोधित अनुमान (आर.ई.) 2024-25 में कुल व्यय के ₹47.16 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक व्यय की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। संशोधित अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के क्रमशः ₹36.98 लाख करोड़ और ₹10.18 लाख करोड़ होने का अनुमान है। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹30.88 लाख करोड़ और ₹0.59 लाख करोड़ अनुमानित की गई हैं।

11. संशोधित अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जो बजट अनुमान 2024-25 से कम है। राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा संशोधित अनुमान 2024-25 में जीडीपी के 1.9 और 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

12. संशोधित अनुमान 2024-25 में ₹15.70 लाख करोड़ के अनुमानित राजकोषीय घाटे को बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि

सहित विभिन्न साधनों के जरिए वित्तपोषित किए जाने की योजना है। दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सैक) के माध्यम से सकल एवं निवल उधार बजट अनुमान 2024-25 में क्रमशः ₹14.01 लाख करोड़ और ₹11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। 27 जनवरी, 2025 तक सरकार ने ₹12.44 लाख करोड़ और ₹10.06 लाख करोड़ की क्रमशः सकल एवं निवल उधार को लगभग 6.97 प्रतिशत के भारित औसत लाभ और लगभग 20.65 वर्षों की भारित औसत परिपक्वता अवधि के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना पूरा किया है।

13. एफआरबीएम परिभाषा के आधार पर, संशोधित अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार के ऋण जीडीपी के 57.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसमें एनएसएसएफ के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के कारण हुई देयताएं भी शामिल हैं जिनके संशोधित अनुमान 2024-25 में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत रहने की अपेक्षा है। इन देयताओं को घटाकर केंद्र सरकार का ऋण संशोधित अनुमान 2024-25 में जीडीपी का लगभग 56.2 प्रतिशत है।

14. एफआरबीएम अधिनियम, 2003, गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं की व्यवस्था हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिदेश प्रदान करता है। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(1)(ग) वित्तीय वर्ष में वृद्धिमान गारंटियों की व्यवस्था करने के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा विहित करती है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियां वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹3.31 लाख करोड़ (अथवा जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) थी। यह वित्त वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के स्तर से कम हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गारंटियों के स्टाक में कुल अनुवृद्धि ₹41,062 करोड़ (या जीडीपी का 0.14 प्रतिशत) थी। यह एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही है। बकाया गारंटियों संबंधी एक प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट 2025-26 के भाग ख में संलग्न है।

### वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय परिदृश्य

15. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में, सामान्य जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

16. राजकोषीय वर्ष 2025-26 दो तरीके से महत्वपूर्ण है। यह 15वें वित्त आयोग की अवधि का अंतिम वर्ष होने के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषित राजकोषीय सुदृढीकरण के गतिशील पथ (ग्लाइड पाथ) का अंतिम वर्ष भी है। वित्त वर्ष 2021-22 की प्रतिबद्धता के अनुसार, जीडीपी का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है। संघ सरकार ने राजकोषीय मार्गदर्क (ऍंकर) के रूप में जीडीपी अनुपात में ऋण के साथ नए गतिशील पथ की भी घोषणा की है (ब्योरा अनुलग्नक -1 में है)।

17. बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा ₹15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि संशोधित अनुमान 2024-25 में ₹15.70 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे से थोड़ा कम है। इसका परिणाम संशोधित अनुमान 2024-25 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी अनुपात में 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के रूप में हुआ है। इसी प्रकार, बजट अनुमान

2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में यह जीडीपी का 1.9 प्रतिशत था।

#### राजस्व प्राप्तियां (कर और कर-भिन्न)

18. बजट अनुमान 2025-26 में, सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹42.70 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यह संशोधित अनुमान 2024-25 की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 1.07 का कर उछाल निहित है। ₹25.20 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष कर जीटीआर (जीटीआर का 59.0 प्रतिशत है) में मुख्य अंशदाता हैं। अप्रत्यक्ष कर ₹17.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

19. बजट अनुमान 2025-26 में, जीडीपी की तुलना में जीटीआर का अनुपात 12.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को कर अंतरण किए जाने के पश्चात कर राजस्व (केन्द्र के लिए निवल) ₹28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

20. बजट अनुमान 2025-26 में, संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियां [कर राजस्वों को शामिल करते हुए (केन्द्र के लिए निवल) और कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर)] ₹34.20 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्ति अनुमान संशोधित अनुमान 2024-25 की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। केन्द्र सरकार का एनटीआर ₹5.83 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

#### ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

21. बजट अनुमान 2025-26 में, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां (ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल करते हुए) ₹76,000 करोड़ रहने के अनुमान हैं। तथापि, अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों की वास्तविक वसूली वर्ष के दौरान व्याप्त बाजार की दशाओं पर निर्भर करती हैं।

#### व्यय

22. बजट अनुमान 2025-26 में केन्द्र सरकार का कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ पर स्थिर किया गया है (जीडीपी का 14.2 प्रतिशत), जो कि संशोधित अनुमान 2024-25 में प्रदान किए गए ₹47.16 लाख करोड़ पर 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

#### प्रभावी पूंजीगत व्यय

23. केन्द्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय में बजटीय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं। कुल मिलाकर, ये दोनों ऐसे निवेशों का हिस्सा हैं, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और उसका उन्नयन करते हैं।

24. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) आबंटित किया गया है। इसमें ₹1.50 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋणों के माध्यम से राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता शामिल है। बजटीय पूंजीगत परिव्यय वित्त वर्ष 2019-20 के परिव्यय का लगभग 3.3 गुणा है। बजट अनुमान 2025-26 में, पूंजीगत

आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत आबंटन ₹4.27 लाख करोड़ (या जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) रहने का पूर्वानुमान है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹15.48 लाख करोड़ (या जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

#### राजस्व व्यय

25. बजट अनुमान 2025-26 के लिए राजस्व व्यय ₹39.44 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। यह बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी का 11.0 प्रतिशत होता है, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में यह 11.4 प्रतिशत था। राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत चयनित मदों की संक्षिप्त चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है।

#### (i) ब्याज भुगतान

26. बजट अनुमान 2025-26 में, ब्याज भुगतान बजट अनुमान 2024-25 में ₹11.63 लाख करोड़ की तुलना में ₹12.76 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ब्याज भुगतान के ये अनुमान मौजूदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों पर निर्भर करते हैं।

#### (ii) प्रमुख सब्सिडी

27. बजट अनुमान 2025-26 में, खाद्य (₹2.03 लाख करोड़), उर्वरक (₹1.68 लाख करोड़) और पेट्रोलियम (₹0.12 लाख करोड़) सहित प्रमुख सब्सिडी ₹3.83 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2025-26 में, जीडीपी के 1.1 प्रतिशत की प्रमुख सब्सिडी राजस्व व्यय की लगभग 9.7 प्रतिशत होंगी।

#### (iii) पेंशन

28. बजट अनुमान 2025-26 में संघ सरकार की पेंशन प्रतिबद्धता (नागरिक और रक्षा दोनों के लिए) ₹2.77 लाख करोड़ (जीडीपी का 0.8 प्रतिशत) रहने का अनुमान है, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में यह प्रतिबद्धता ₹2.75 लाख करोड़ (या जीडीपी का 0.8 प्रतिशत) थी। ये पेंशन भुगतान भारत सरकार की चार अनुदान मांगों अर्थात् रक्षा (पेंशन), नागरिक (पेंशन), दूरसंचार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित हैं।

#### (iv) राज्यों को कर अंतरण

29. वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के आधार पर, संघ सरकार वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्यों को करों का अंतरण करती है। वित्त वर्ष 2025-26, 15वें वित्त आयोग की अवधि का अंतिम वर्ष है। बजट अनुमान 2025-26 में, राज्यों को कर अंतरण ₹14.22 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में यह अंतरण ₹12.87 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्षों से अंतरण के अंतर्गत राज्यों को संघ सरकार द्वारा देय बकाया राशि के कारण ₹12,764 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल है। बजट अनुमान 2025-26 में राज्यों को कर अंतरण जीडीपी का 4.0 प्रतिशत और संशोधित अनुमान 2024-25 के कर अंतरण से ₹1.36 लाख करोड़ अधिक है (पिछले बकायों सहित)।

#### (v) वित्त आयोग अनुदान

30. कर अंतरण के अलावा, केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को वित्त आयोग अनुदान भी देती है। बजट अनुमान 2025-26 में, वित्त आयोग अनुदान ₹1.33 लाख करोड़ रहने

का अनुमान है। वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत, राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान क्रमशः ₹0.14 लाख करोड़, ₹0.26 लाख करोड़ और ₹0.49 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार, वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों के साथ साझा किए गए कुल संसाधन, कर अंतरण और वित्त आयोग अनुदान, बजट अनुमान 2025-26 में ₹15.55 लाख करोड़ रहने के अनुमान हैं।

### उधार- सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां

31. संघ सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण विभिन्न साधनों के माध्यम से करती है। इनमें दिनांकित प्रतिभूतियां (जी-सेक), एनएसएसएफ, विदेशी सहायता इत्यादि शामिल हैं। बजट अनुमान 2025-26 में, केन्द्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधारियां क्रमशः ₹14.82 लाख करोड़ (या जीडीपी का 4.2 प्रतिशत) तथा ₹11.54 लाख करोड़ (या जीडीपी का 3.2 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में सकल उधारी में कोविड-19 से जुड़े ऋणों की अदायगी शामिल है, जो इस वित्त वर्ष के दौरान देय हो जाएगी। बजट अनुमान 2024-25 में, सकल और निवल उधारियों के क्रमशः ₹14.01 लाख करोड़ (या जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) तथा ₹11.63 लाख करोड़ (या जीडीपी का 3.6 प्रतिशत) रहने का पूर्वानुमान है। इस प्रकार, बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल और निवल उधारियां देश के जीडीपी पूर्वानुमान 10.1 प्रतिशत से कम हैं और राजकोषीय सुदृढीकरण की रफ़्तार के साथ इनमें गिरावट आने का अनुमान है।

32. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के अन्य 'स्रोत केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, निवल विदेशी सहायता और लोक लेखा शेष इत्यादि हैं। बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए एनएसएसएफ से उधारी लगभग ₹3.43 लाख करोड़ रहने का अनुमान है; जबकि विदेशी स्रोतों और राज्य भविष्य निधियों से उधारियां क्रमशः ₹23,490 करोड़ और ₹5,000 करोड़ (निवल आधार पर) रहने का अनुमान है।

33. एफआरबीएम अधिनियम में यथा-निर्धारित 'केन्द्र सरकार का ऋण' की परिभाषा के अनुसार, बजट अनुमान 2025-26 में केन्द्र सरकार का ऋण जीडीपी का 56.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है (जो कि संशोधित अनुमान 2024-25 में जीडीपी के 57.1 प्रतिशत से कम है)। केन्द्र सरकार की देनदारियों का स्वरूप अधिकांशतः स्वदेशी है और इसमें विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण बहुत कम (अंकित मूल्य पर कुल देनदारियों का 3.4 प्रतिशत) है। साथ ही, विदेशी क्षेत्र में भी, अधिकांश देनदारियों के करार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से किए गए हैं।

34. भारत के लोक लेखा पर बकाया देनदारियों का एक भाग राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश के कारण है (जो कि वास्तव में राज्य सरकारों की देनदारियां हैं) और इनकी अदायगी परिपक्वता के समय राज्यों द्वारा की जाएगी। यदि ऐसे निवेशों को शामिल न किया जाए तो केन्द्र सरकार का समायोजित ऋण वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में जीडीपी का 55.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

### निम्नलिखित से संबंधित सततता का आकलन

#### (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

35. बजट अनुमान 2025-26 में, संघ सरकार का राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां क्रमशः ₹39.44 लाख करोड़ (जीडीपी का

11.0 प्रतिशत) और ₹34.20 लाख करोड़ (जीडीपी का 9.6 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर राजस्व घाटा होता है, जो बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2025-26 में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 86.7 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। यह संशोधित अनुमान 2024-25 में 83.5 प्रतिशत की तुलना में सुधार दर्शाता है। इसके अलावा, यदि पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान - जिन्हें पूंजीगत स्वरूप का होते हुए भी राजस्व व्यय माना जाता है - के कारण समायोजनों को ध्यान में रखा जाए तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात बजट अनुमान 2025-26 में लगभग 97.3 प्रतिशत है।

#### (ii) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग

36. राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय का अनुपात उस सीमा का निर्धारण करता है जिस सीमा तक उधार लिए गए संसाधनों का उपयोग पूंजीगत व्यय या सरकार की आस्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। बजट अनुमान 2025-26 में, यह अनुपात 71.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि संशोधित अनुमान 2024-25 में 64.9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023-24 में 57.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे और प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुपात बजट अनुमान 2025-26 में 98.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में यह अनुपात 84.0 और वित्त वर्ष 2023-24 में 75.7 प्रतिशत रहा। यह बीते वर्षों के दौरान सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में प्रगामी सुधार को दर्शाता है।

#### 2025-26 के लिए राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति

37. वित्त वर्ष 2025-26 की राजकोषीय नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक विकास की संभावनाओं और इसकी रोजगार सघनता, स्वदेशी मांग को बढ़ाने वाले अंतर-क्षेत्रिक सुधार, प्रभावी पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नई क्षमताओं के विकास, मानव पूंजी के विकास में निवेश, सामाजिक कल्याण के लिए 'संतुष्टि दृष्टिकोण' और सामाजिक सुरक्षा तंत्र का सुदृढीकरण शामिल हैं। इस नीति के उद्देश्यों में समावेशी और समतामूलक आर्थिक विकास में नई जान फूंकना और इसे स्थायित्व प्रदान करना, जोखिमों को कम करने के लिए अनुकूलनीयता बढ़ाना, समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना और दौ के समग्र आर्थिक मूल तत्वों को बढ़ावा देना शामिल है।

#### कर नीति

38. सरकार के कराधान में सुधार के प्रयास 'समता', 'निश्चितता', 'सुविधा' और 'अर्थव्यवस्था' के चार सिद्धांतों से निर्देशित है। कराधान व्यवस्था को नागरिकों पर केन्द्रित होना होगा और इसमें कम दरों के साथ सरलीकृत कर संहिताओं, सीमित छूटों/त्रुटियों, कठोर किंतु निष्पक्ष प्रवर्तन तथा मुकदमों में कमी जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। इन उपायों से करदाता स्वेच्छ से कराधान के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। बीते वर्षों में और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं।

39. उपर्युक्त संदर्भ में, जीटीआर बजट अनुमान 2025-26 में जीडीपी का 12.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2025-26 में, निगम कर ₹10.82 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान

2024-25 की तुलना में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत) रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2025-26 में आयकर (प्रतिभूति लेन-देन कर को छोड़कर) ₹13.60 लाख करोड़ रहने का अनुमान है (संशोधित अनुमान 2024-25 की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज), जिसमें 1.30 का उछाल निहित है। यह अंतर्निहित उछाल पिछले तीन वर्षों (संशोधित अनुमान 2024-25 में समाप्त) में प्राप्त 1.74 की औसत उछाल की तुलना में कम है।

40. हाल के वर्षों में, प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत शुरु किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:

- क) वस्तुओं या सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति के लिए प्राप्त प्रतिफल के 2 प्रतिशत की दर पर समकारी उगाही (इक्वलाइजेशन लेवी) दिनांक 1 अगस्त, 2024 से हटा दी गई है।
- ख) अधिनियम की धारा 276ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) भुगतानों के संबंध में अभियोजन को तिमाही टीडीएस विवरणों को दायर करने की नियत तिथि तक के लिए अपराध नहीं माना गया है।
- ग) अनेक सरकारी विभागों और सेवाओं को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैन को बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नम्बर (बीआईएन) बनाने की सुविधा दी जा रही है। इस वर्ष के दौरान 30.11.2024 तक, 3.66 करोड़ पैन आबंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 11.87 करोड़ अतिरिक्त करदाताओं ने इसी अवधि के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन जोड़ दिया है।
- घ) बेहतर ई-फाइलिंग अनुभव, अनुपालन में सुविधा, आईटीआर की अधिक सटीक एवं तीव्र प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित ई-फाइलिंग और केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 (सीपीसी 2.0) परियोजना शुरु की गई थी। इस वर्ष के दौरान 30.11.2024 तक, 8.54 करोड़ से अधिक आईटीआर (आयकर विवरणियां) और 1.86 करोड़ सांविधिक फार्म ई-फाइल किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान, 7.87 करोड़ से अधिक आईटीआर की प्रोसेसिंग की गई है और 3.46 करोड़ से अधिक प्रतिदाय (रिफंड) भी जारी किए जा चुके हैं।

41. अप्रत्यक्ष करों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत प्राप्तियां बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) सीबीआईसी ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा अपीलें दायर किए जाने के लिए मौद्रिक सीमाएं निर्धारित करके मुकदमों में कमी लाने के निदेश जारी किए हैं।
- ख) संमिश्रित (कंपोजिशन) करदाताओं के लिए फार्म जीएसटीआर-4 में विवरणी फाइल करने की नियत तारीख वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद आने वाली

30 अप्रैल से बदलकर 30 जून कर दी गई है, ताकि करदाताओं को अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय मिल पाए।

- ग) केन्द्र सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया के सुदृढीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय आधार पर आवेदकों के बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणन पंजीकरण शुरु करने की अधिसूचना जारी की है और इससे अनियमित कर समंजन (आईटीसी) के दावों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

42. जैसाकि कर आधार के व्यापक होने और बढ़ने से स्पष्ट है, जीएसटी व्यवस्था क्रमिक रूप से सुस्थिर होती जा रही है। बजट अनुमान 2025-26 में जीएसटी क्षतिपूर्ति कर और आईजीएसटी सहित जीएसटी प्राप्तियां ₹11.78 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जिससे संशोधित अनुमान 2024-25 की तुलना में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि (1.08 की अंतर्निहित उछाल) दर्ज होगी।

43. एंटीमोनी, बिस्मथ, बैरिलियम, कोबाल्ट इत्यादि जैसे 25 अत्यावयक खनिजों पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों को घटाकर शून्य कर दिया गया है। ग्रेफाइट, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे खनिजों पर बीसीडी को घटाकर 2.5% कर दिया गया है।

44. निर्यात किए जाने के बाद वारंटी के अधीन मरम्मत के लिए वस्तुओं के पुनः आयात की समयसीमा 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं, जैसे जलपोतों और वायुयानों के निर्यात की समयवाधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। इससे भी घरेलू विमानन और जलपोत एमआरओ को बढ़ावा मिलेगा।

### व्यय नीति

45. केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रवृत्ति को जारी रखा है। राजकोष एकल खाते (टीएसए), एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) दिशानिर्देशों से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है तथा बेहतर नकद प्रबंधन में मदद मिली है।

46. एसएनए स्पर्श का उद्देश्य भारत की समेकित निधि और राज्यों की समेकित निधियों से 'सही समय पर' निधियों का प्रवाह संभव बनाना है। प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत को अधिसूचित किया गया और अब तक 23 राज्यों में 32 केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है।

### सरकार की उधारियां, दिए गए ऋण और निवेश

47. ऋण धारणीयता को बढ़ावा देने के केन्द्र सरकार के प्रयास तीन स्तम्भों - उधारी की लागतों में कमी, जोखिम उपामन और बाजार विकास पर आधारित हैं।

48. बजट अनुमान 2025-26 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) की बजट विहित सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः ₹14.82 लाख करोड़ और ₹11.54 लाख करोड़ हैं, जबकि बजट अनुमान 2024-25 में ये उधारियां ₹14.01 लाख करोड़ और ₹11.63 लाख करोड़ थीं।

49. बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 27 जनवरी, 2025 तक दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधारियां 88.8 प्रतिशत (₹12.44 लाख करोड़) रहीं। इसके अलावा, बजट अनुमान 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 27 जनवरी, 2025 तक दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारियां 86.5 प्रतिशत (₹10.06 लाख करोड़) रहीं। भारतीय जी-सैक बाजार पर वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के प्रभाव के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में बाजार उधारी कार्यक्रम निर्बाध तरीके से चलाया गया है।

50. इसके अलावा, ऋण परिपक्वता प्रोफाइल में सुधार करने तथा प्रतिदान के दबावों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिभूतियों में अंतरण के माध्यम से सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्यनीति अपनाई गई है। अब तक लगभग ₹1.47 लाख करोड़ की प्रतिभूतियों में अंतरण किए जा चुके हैं। इन उपायों से केन्द्र सरकार की जोखिम प्रोफाइल में सुधार लाने में मदद मिली है। साथ ही, सरकारी ऋण पोर्टफोलियो में रोलओवर के जोखिम कम हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में (27 जनवरी, 2025 तक) दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) बढ़कर 20.65 वर्ष हो गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 18.09 वर्ष और वित्त वर्ष 2022-23 में 16.05 वर्ष थी। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2024-25 में (27 जनवरी, 2025 तक) दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम का भारत औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) मामूली रूप से कम होकर 6.97 प्रतिशत रह गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 7.24 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 7.32 प्रतिशत था।

51. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान टी-बिल निर्गम में राजस्व प्रवाह के अनुरूप बदलाव किए गए हैं। दिनांक 27 जनवरी, 2025 तक, टी-बिलों का निवल निर्गम ₹(-)1.21 लाख करोड़ रहा, जिससे अल्पकालिक देनदारियों में अत्यधिक कमी लाने में सहायता मिली है।

52. केन्द्र सरकार ने अपने राजकोषीय सुदृढीकरण प्रयासों के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सैक) की पुनः खरीद के विकल्प को सक्रियतापूर्वक अपनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्त वर्ष 2025-26 में परिपक्व हो रही ₹88,164 करोड़ की दिनांकित प्रतिभूतियों की पुनः खरीद के कार्य किए गए। इस कार्यनीति से न केवल बचत ब्याज लागतों को कम करने में मदद मिली है बल्कि इसने प्रतिफलों को कम करने के अलावा बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थितियों को आसान बनाया है।

#### वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताएं:

53. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संघ सरकार की राजकोषीय कार्यनीति ऊपर के परिच्छेदों में ही स्पष्ट की जा चुकी है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके व्यापक लक्ष्यों में अर्थव्यवस्था की रोजगार सघनता और विकास संभावना में बढ़ोतरी के माध्यम से समतामूलक और निरंतर विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पूंजी व्यय में वृद्धि करना, समाज कल्याण एवं विकास के लिए 'संतुष्टि दृष्टिकोण' अपनाना, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास में उत्पादक क्षमताओं का विकास करना, संघ सरकार और राज्यों की विकास

क्षमताओं को सुदृढ करना और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की अडिग प्रतिबद्धता शामिल है।

#### निष्कर्ष एवं नीति मूल्यांकन

**राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों तथा धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण**

54. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(क) में केन्द्र सरकार को यह अधिदेश सौंपा गया है कि वह 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। इसी के क्रम में, धारा 4(1)(ख)(ii) में यह अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार का ऋण वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक जीडीपी के चालीस प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(घ) में भी यह अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सरकार ऐसे प्रयास करे कि उपर्युक्त राजकोषीय लक्ष्यों की समयसीमा निर्धारित तिथियों के बाद आगे न बढ़े। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(ख)(i) के अनुसार, वित्त मंत्री को संसद के दोनों सदनों में ऐसा वक्तव्य देना होता है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार को सौंपे गए दायित्वों की पूर्ति में विचलन के स्पष्टीकरण देने होते हैं।

55. कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में, राजकोषीय सुदृढीकरण (विवेक और लचीलेपन पर जोर देते हुए) के गतिशील पथ से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। तथापि, वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से काफी दूर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था - और अधिक मंदी लाने वाली तथा स्थिरता चाहने वाली - दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष के कारण अभीष्ट स्तर से नीचे चल रही है।

56. अंतरराष्ट्रीय वृहत-अर्थव्यवस्था में निरंतर अनिश्चितता बनी रहने से इसमें शीघ्र स्थिरता में रूकावट आ रही है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बढ़ती अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पूरे विश्व का ध्यान सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत पर टिक गया है। राष्ट्रों के सामने आ रही चुनौतियों से पार पाने का अपना मार्ग तलाशते हुए, भारत ऐसी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास करेगा, जो न्यायोचित, निष्पक्ष, समावेशी और सभी के लिए समतामूलक हो।

57. इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, संघ सरकार अपनी विकास प्राथमिकताओं को राजकोषीय विवेक की अनिवार्यताओं से संतुलित करती रहेगी। व्यापक और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सरकार की राजकोषीय नीति सुधारों, अनुकूलनीयता और तत्परता पर आधारित होगी। इस दृष्टिकोण से न केवल आर्थिक विकास की रफ्तार में पुनः तेजी आएगी बल्कि उभरती वैश्विक और घरेलू चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन भी प्राप्त होंगे।

## अनुलग्नक 1. राजकोषीय सुदृढीकरण का गतिशील पथ-वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31

### संदर्भ


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ भारत में नियमों पर आधारित राजकोषीय व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के उपायों के रूप में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे जैसे घाटा लक्ष्यों का उल्लेख जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किया गया है। एफआरबीएम अधिनियम को वर्ष 2012 में संशोधित करके प्रभावी राजस्व घाटे को राजकोषीय लक्ष्यों की सूची में जोड़ा गया। अंतिम तिथि के साथ राजकोषीय घाटे और ऋण लक्ष्यों दोनों को शामिल करने के लिए इस एफआरबीएम अधिनियम, 2003 को पुनः वर्ष 2018 में संशोधित किया गया। जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी प्राप्ति वित्त वर्ष 2020-21 में हुई। वित्त वर्ष 2024-25 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के रूप में केन्द्र सरकार के ऋण का लक्ष्य जीडीपी का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इन लक्ष्यों के अलावा, इस संशोधन में सरकार (केन्द्र और राज्यों दोनों) के लिए ऋण का लक्ष्य जीडीपी का 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

### कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके दुष्प्रभाव

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। देश की आर्थिक विकास दर को पटरी पर लाने के लिए राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों वाला बड़ा प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया गया। इसमें लोगों के जीवन और आजीविकाओं के संरक्षण के उद्देश्य से किए गए कई नीतिगत कार्य भी शामिल थे। हालांकि, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) में अनपेक्षित आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए अपेक्षित 'बचाव खंड' का प्रावधान (जीडीपी का अधिकतम 0.5 प्रतिशत) किया गया था लेकिन यह प्रावधान इस व्यवधान के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त पाया गया, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.2 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ गया था।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आए इस राजकोषीय संकट से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में निम्नलिखित घोषणा की थी:

### राजकोषीय सुदृढीकरण मार्ग : वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक



<sup>1</sup> राजकोषीय नियम, निर्धारक होते हैं और इनमें अंको संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति पर जोर दिया जाता है, राजकोषीय मानक ऐसे सामान्य उद्देश्य होते हैं, जिनका अनुपालन करना आवश्यक होता है।

“राजकोषीय सुदृढीकरण के अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की हमारी योजना है और हमारा यह इरादा है कि समय के साथ निरंतर कमी करते हुए राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के स्तर पर लाया जाए।.....” (परिच्छेद 141)

ऐसा पहली बार था कि मध्यवर्ती लक्ष्यों के बिना अन्तिम लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग की घोषणा की गई। इस घोषणा का उद्देश्य अत्यधिक अनिश्चितता के समय में आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार को अपेक्षित प्रचालन छूट देना था।

यह दृष्टिकोण वित्त संबंधी स्थायी समिति की 18वीं रिपोर्ट (2001) में व्यक्त विचारों के अनुरूप था, जिसमें यह कहा गया कि “उक्त स्तरों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंकों की उच्चतम सीमा और समय सीमा से निर्णय लेने में अत्यधिक कठोरता आ जाती है, जिससे आकस्मिक आवश्यकताओं की उपयुक्त तरीके से पूर्ति करने के लिए सरकार को आवयक छूट नहीं मिलती है।”

वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित राजकोषीय सुदृढीकरण का गतिशील पथ एक सुविचारित नीतिगत विकल्प था। इसका उद्देश्य कठोर राजकोषीय नियमों वाली व्यवस्था को छोड़कर लचीले राजकोषीय मानकों की दिशा में आगे बढ़ने था। यह उपाय ब्लॉचर्ड एट अल की राजकोषीय सर्वसम्मति के अनुरूप और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से निर्देशित है। यह उपाय एफआरबीएम अधिनियम, 2023 के माध्यम से नियत लक्ष्य आधारित राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करने के भारत के उस पिछले अनुभव पर आधारित था, जिसमें अधिकांश वित्तीय वर्षों में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई।

### वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय सुदृढीकरण का गतिशील पथ

वित्त वर्ष 2021-22 से प्रचालन की दृष्टि से लचीला राजकोषीय सुदृढीकरण मार्ग अपनाने से देश को काफी लाभ हुआ है। अब भारत वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने और वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के स्तर पर लाने के लिए तैयार है।

**राजकोषीय सुदृढीकरण पथ: वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31**

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण (नियमित) में कहा गया कि :



“वर्ष 2021 में मेरे द्वारा घोषित किए गए राजकोषीय सुदृढीकरण मार्ग से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिला है, ..... वर्ष 2026-27 से हमारा प्रयास यह होगा कि प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखा जाए कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम होता रहे।” (परिच्छेद 114)

राजकोषीय मार्गदर्शक के रूप में जीडीपी पर ऋण के अनुपात का विकल्प वर्तमान वैश्विक सोच के अनुरूप है। इससे कठोर वार्षिक राजकोषीय लक्ष्यों को छोड़कर अधिक पारदर्शी और प्रचालन की दृष्टि से लचीले राजकोषीय मानकों की दिशा में बदलाव को प्रोत्साहन मिलता है। इसे राजकोषीय कार्य-निष्पादन का अधिक विश्वसनीय मापदंड भी माना जाता है क्योंकि इससे अतीत और वर्तमान के राजकोषीय निर्णयों के संचयी प्रभावों का पता चलता है। आशा है कि जीडीपी पर ऋण के अनुपात पर आधारित राजकोषीय सुदृढीकरण कार्यनीति से बफर पुनः तैयार करने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले खर्चों के अपेक्षित अवसर प्राप्त होंगे।

राजकोषीय मार्गदर्शक का यह विकल्प बजट-भिन्न उधारियों के समुचित प्रकटीकरण के माध्यम से राजकोषीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के सतत प्रयासों के संदर्भ के अनुरूप है। जैसा कि आगे चार्ट में देखा जा सकता है, देनदारियों में वास्तविक बदलाव (बही मूल्य पर) वित्त वर्ष 2019-20 के बाद के वर्षों में दर्शाए गए राजकोषीय घाटे के लगभग बराबर रहा है।

वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के संबंध में जीडीपी में वृद्धि की प्रवृत्तियों और राजकोषीय अंशाकनों में बदलाव के स्तरों के आधार पर कई राजकोषीय परिदृश्यों की गणना की जा सकती है (निम्नलिखित चार्ट):

यदि कोई बड़ा वृहत आर्थिक व्यवधानकारी बाहरी संकट न आए तो आर्थिक विकास की संभावित प्रवृत्तियों और उभरती विकास आवयकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रयास यह होगा कि प्रत्येक वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक) राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखा जाए कि केंद्र सरकार का ऋण कम होता रहे, ताकि जीडीपी पर ऋण का स्तर 31 मार्च, 2031 (16वें वित्त आयोग की अवधि के अंतिम वर्ष) तक लगभग 50±1 बना रहे।



इस दृष्टिकोण से सरकार को अनपेक्षित घटनाक्रम के संबंध में उपाय करने की प्रचालनात्मक छूट प्राप्त होगी। इसी के साथ

यह भी अपेक्षित है कि केंद्र सरकार के ऋण को पारदर्शी तरीके से निरंतर इसी स्तर पर बनाए रखा जाए।